

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पुनर्वित्त विभाग

प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051
टेलि : +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org



National Bank for Agriculture and Rural Development

Department of Refinance

Head Office : BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Tel. : +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090
E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

संदर्भ सं. Ref Ref. No. NB. पुनर्वित्त DoR / 420 / पीपीएस PPS - 9/ 2020-21

17 सितंबर 2020

परिपत्र सं. Circular No. 251 / पुनर्वित्त DoR - 78 /2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रबंध निदेशक/ अध्यक्ष
अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे वित्त बैंक और राज्य सहकारी बैंक
और नाबार्ड के सहायक कंपनियों
CEOs/MDs/Chairman of SCBs, RRBs, SFBs and StCBs
and Subsidiaries of NABARD

प्रिय महोदय Dear Sir,

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के प्रवर्तन के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना

Special Refinance Scheme for promoting Micro Food Processing Enterprises

कई कृषि-पण्यों के उत्पादन में भारत का स्थान अग्रणी है। वैश्विक उत्पाद में भारत का बड़ा हिस्सा होने के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण के मामले में, वर्तमान में अपने कृषि उत्पाद का 10% से भी कम हिस्सा है। शहरीकरण की वजह से उपभोग पद्धतियों में परिवर्तन, श्रम शक्ति में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी और उपभोगिता दर में वृद्धि से इस क्षेत्र की प्रगति दर में वृद्धि हुई है। खाद्य प्रसंस्करण संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बंटी है लेकिन पापड़, नूडल, आचार, फल रस (स्कैश), सॉस आदि जैसी पारंपरिक गतिविधियों पर असंगठित क्षेत्र की मजबूत पकड़ है। देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं जिसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 74% रोजगार (इनमें से एक तिहाई महिलाएं हैं) और 27% मूल्य संवर्धन की हिस्सेदारी है। इनकी लगभग 66% इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और इनमें से लगभग 80% परिवार आधारित उद्यम हैं। तथापि, इस क्षेत्र में उद्यमियों को संस्थागत ऋण की अनुपलब्धता, आधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव और खाद्य-आपूर्ति शृंखला के साथ तालमेल का अभाव जैसी अनेक चुनौतियाँ शामिल हैं। ग्राममें क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य

India is ranked first in production of several agri-commodities. Despite producing a sizeable global production, India currently processes less than 10% of its agri output. Changing consumption patterns due to urbanization, changes in the gender composition of work force, and growing consumption rates have contributed to the increase in the growth rate of the sector. Food processing is almost uniformly divided between unorganized and organized sectors but unorganized sector has a strong foothold in traditional activities such as papad, noodles, pickles, squashed, sauces etc. The unorganized food processing sector in the country comprising nearly 25 lakh food processing enterprises contribute to 74% of employment (a third of which are women) and 27% of the value addition in the food

गाँव बढ़े तो देश बढ़े

Gaon Badhe Toh Desh Badhe

प्रसंस्करण गतिविधियों में निवेश और संस्थागत ऋण सुविधा के प्रसार से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

उपर्युक्त समस्याओं को देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा सूक्ष्म-खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को ऋण प्रदान करने को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण युवकों के लिए संधारणीय आजीविका और कोविड-19 महामारी के कारण शहरों से वापस आए लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नाबार्ड ने एक विशेष पुनर्वित्त योजना तैयार की है। इस योजना में वर्तमान एकल सूक्ष्म उद्यमों के आधुनिकीकरण और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इनके औपचारिक क्षेत्र में अंतरण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। यह पुनर्वित्त योजना भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अधीन हाल ही में घोषित "प्रधान मंत्री औपचारिकता सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना" को बढ़ावा देगी जिससे इस क्षेत्र में ₹25,000 करोड़ के निवेश का अनुमान है।

विशेष पुनर्वित्त योजना के अधीन नाबार्ड ने सभी पात्र बैंकों/ वित्तीय संस्थानों को 4% प्रति वर्ष की दर से दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है जिससे बैंकों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को लगाने के लिए ऋण प्रदान करने को बढ़ावा देगा। यह पुनर्वित्त सहायता स्वतः पुनर्वित्त सहायता के अधीन दी जाएगी जिससे पूर्व-स्वीकृति की विस्तृत प्रक्रिया के बिना बैंक नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। तथापि बैंकों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को ऋण प्रदान करने संबंधी आंकड़ें (डाटा बेस) अलग से रखने होंगे। विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देश अनुबंध में दिये गए हैं।

कृपया अपने बैंक में इस योजना का व्यापक प्रसार करें और रियायती पुनर्वित्त सहायता का लाभ उठाएँ। इस विषय में अधिक मार्गदर्शन और सूचना के लिए आप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के संपर्क में रहें।

processing sector. Nearly 66% of these units are located in rural areas and about 80% of them are family-based enterprises. However, the sector faces a number of challenges including the inability of the entrepreneurs to access credit, lack of access to modern technology and inability to integrate with the food supply chain. Investments in micro food processing activities in rural areas and deepening of institutional credit facility are expected to address these challenges.

Considering the above issues, NABARD has conceived a Special Refinance Scheme to encourage banks to lend micro-food processing activities and create sustainable livelihood and employment opportunities for rural youth as well as reverse migrants due to COVID-19 pandemic in the rural areas. The scheme also envisages modernization and enhancing the competitiveness of the existing individual micro enterprises and ensure their transition to formal sector in rural areas. The refinance scheme will give fillip to the recently launched "PM Scheme for Formalisation of Micro food processing Enterprises (PM FME)" under Atmanirbhar Bharat Abhiyan by MoFPI, GoI under which about Rs.25,000 crore investment is expected in the sector.

Under the Special Refinance Scheme, NABARD has decided to extend concessional long term refinance to all eligible banks/FIs at 4% to enable banks to accelerate capital formation in micro-food processing enterprises. The refinance will

	<p>be sanctioned under Automatic Refinance Facility (ARF) which shall enable banks to obtain financial accommodation from NABARD, without going through the detailed pre-sanction procedure formalities. However, the banks have to maintain separate database for lending to micro-food processing activities. The detailed operational guidelines are furnished in the Annexure.</p> <p>We request you to widely publicise the scheme in your bank and take advantage of concessional refinance. We advise you to be in touch with our Regional Offices for further guidance and information on the subject.</p>
--	--

भवदीय Yours faithfully

एल. आर. रामचंद्रन

(एल आर रामचंद्रन)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : 2 पृष्ठ

अनुबंध

ANNEXURE

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के प्रवर्तन के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना Special Refinance Scheme for promoting Micro Food Processing Enterprises

परिचालनात्मक दिशानिर्देश Operational Guidelines

1. उद्देश्य Objective

प्रस्तावित विशेष योजना के मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों और आकांक्षी जिलों को केन्द्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में संधारणीय आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर प्रदान करना, किसानों को अधिक आमदनी के लिए कृषि-मूल्य शृंखला का संवर्धन उचित व्यवस्था के निर्माण के माध्यम से स्थानीय आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करना, लाभार्थियों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता रदन करने में बैंकों को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि करना है।

The main objectives of the proposed special scheme is to provide sustainable economic activities and employment opportunities in rural areas with focus on women entrepreneurs and Aspirational districts, promote agri-value chain for enhanced income to farmers, strengthen local supply chain through creating appropriate linkages, encourage banks to extend financial support at concessional rate to beneficiaries and enhance credit flow for small food processing units in rural areas

2. पुनर्वित्त की स्वीकृति Sanction of Refinance

यह पुनर्वित्त सहायता स्वतः पुनर्वित्त सहायता के अधीन दी जाएगी जिससे पूर्व-स्वीकृति की विस्तृत प्रक्रिया के बिना बैंक नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। तथापि बैंकों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को ऋण प्रदान करने संबंधी आंकड़ें (डाटा बेस) अलग से रखने होंगे और सफलता गाथाओं को भी नाबार्ड के साथ साझा करना होगा।

The refinance will be sanctioned under Automatic Refinance Facility (ARF) which enables banks to obtain financial accommodation from NABARD, without going through the detailed procedure of pre- sanction formalities. However, banks have to maintain separate database for claiming refinance against lending for such activities and also share success stories to NABARD.

3. पात्र गतिविधियां Eligible activities

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण में सफाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग, पैकिंग, पल्प और जुसेस, आचार, स्कैश और सौसेस, आटा चक्की (फ्लोर मिल), बेकिंग, नूडल्स, शहद, चिप्स तैयार करना, मसालों की पिसाई आदि जैसे

प्राथमिक उत्पाद में फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण गतिविधियां मूल्य संवर्धन शामिल हो सकते हैं. योजना के अधीन सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए रु. 1 लाख से लेकर अधिकतम रु.25,000 की ऋण राशि पात्र होगी. कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण में निम्नलिखित पात्र हो सकते हैं:

The scope of micro food processing may cover a wide range of post-harvest processing activities/ value addition in primary produce such as cleaning, grading, waxing, packing, pulp & juices, pickles, squashes and sauces, flour milling, baking, noodles, honey, chips making, spices grinding, etc. The loan amount for setting up of micro processing unit would range from Rs. 1 lakh to a maximum of Rs.25 lakh for being eligible under the scheme. The agricultural produce considered for processing may include:

- फल, सब्जियाँ, मशरूम, बागान फसलें और अन्य बागबानी फसलें Fruits, vegetables, mushrooms, plantation crops and other horticulture crops
- दूध और दुग्ध उत्पाद Milk and milk products
- पॉल्ट्री और मांस, मछली और अन्य जलीय व समुद्री उत्पाद तथा मधु मक्खीपालन Poultry and meat, fish and other aquatic & marine products and apiculture
- अनाज, दालें, गुड इकाइयां, तिलहन आदि Cereals, pulses, jaggery units, oilseeds, etc.
- जड़ी-बूटी, औषधीय और सुगंधी पौधे, छोटे वानिकी उत्पाद, मसाले Herbs, medicinal and aromatic plants, minor forest produce, spices, condiments, etc.

4. पात्र लाभार्थी **Eligible Beneficiaries**

इस योजना में सभी राज्यों के सभी पात्र लाभार्थी अर्थात छोटे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने इच्छुक व्यक्ति, स्वयं-सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, कृषक समूह, मालिकाना संस्थाएं, साझेदारी संस्थाएं, कंपनियाँ आदि शामिल होंगे.

The scheme will cover all the eligible beneficiaries across all states viz. individuals, FPOs, SHGs, JLGs, farmers' collectives, proprietorship firms, partnership firms, companies etc. interested in setting up of small food processing units.

5. पात्र वित्तीय संस्थाएं **Eligible financial institutions**

योजना के अधीन सभी वाणिज्य बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और नाबार्ड की सहायक संस्थाएं पात्र संस्थाएं होंगी.

Eligible institutions shall be all Commercial Banks, SFBs, RRBs, Cooperative Banks and subsidiaries of NABARD under the scheme.

6. मार्जिन **Margin**

एकल बैंकों के ऋण अंडराइटिंग मानकों के अनुरूप और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार मार्जिन होगी.

As per credit underwriting standards of individual banks and in accordance with RBI guidelines in this regard.

7. ब्याज दर **Interest rate**

योजना में अंतिम लाभार्थियों को रियायती पुनर्वित्त का लाभ पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। इसे देखते हुए पुनर्वित्त की दर 4% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतिम लाभार्थियों को छः मास एमसीएलआर+1% या ईएलबीआर+2.5%, जो भी कम हो, लगाई जाएगी। नाबार्ड को समय-समय पर ब्याज दर में संशोधन करने का अधिकार होगा।

The scheme envisages that the benefits of concessional refinance is passed on to the ultimate beneficiaries. Keeping this in view, the interest rate on this Special Refinance Scheme is fixed at @4% per annum and the ultimate lending rate to be charged by banks/FIs should not be more than six months MCLR + 1% or EBLR + 2.5% whichever is lower. NABARD reserves the right to change the interest rate from time to time.

8. चुकौती **Repayment**

अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में पुनर्वित्त की चुकौती की जाएगी।

The refinance shall be repaid within a maximum period of 5 years.

9. अनुप्रवर्तन और समीक्षा **Monitoring and Review**

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसकी समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर समिति / ज़िला समन्वय समिति / खंड स्तरीय बैंकर समिति जैसे मंचों पर की जाएगी। नाबार्ड के मोबाइल ऐप नैब परीक्षण के माध्यम से बैंकों द्वारा दीर्घावधि आर्थिक गतिविधियों की जियो-टैगिंग और जियो-फेंसिंग की जाएगी।

For effective implementation of the scheme, monitoring will be done in the fora like SLBC/ DCC /BLBC. Close monitoring shall be done by geo-tagging and geo-fencing of long term economic activities financed by banks through NAB Parikshan Mobile App of NABARD.

10. योजनाबद्ध पुनर्वित्त पर लागू सभी अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

All other terms and conditions as applicable to schematic refinance shall remain unchanged.

